न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मौहम्मद इलियास बनाम गुरमीत वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 363/2025 (अजमेर)

D.D
24/10/25

	श्री मालीक तालूत एड0	
28.07.2025	मौहम्मद इलियास बनाम गुरमीत कौर (2025/363) यह अपील श्री मालीक तालूत एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 129/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 16/10/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16/10/25	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि. एवं स्थगन प्रा.पत्र हेतु पेश की गई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है, आइंदा उपस्थित हो। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधि. व एवं स्थगन प्रा.पत्र दिनांक 24.10.25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
24/10/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कामिलदाखिल होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

BAA

Scanned with CamScanner

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील टी.ए. सं. 363/2025

2025/363

1 श्री मोहम्मद इलियास पुत्र स्व. श्री घम्मू

2 श्री मोहम्मद महबूब पुत्र स्व. श्री घम्मू

दोनो जाति व्यापारी मुसलमान, निवासीगण ग्राम गगवाना, छातडी रोड, तहसील व जिला अजमेर।

.......अपीलान्ट

बनाम

1 श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी स्व. श्री फैयाज मोहम्मद

2 श्री सोहिब खान पुत्र स्व. श्री फैयाज मोहम्मद

दोनो जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी मकान नम्बर 1016, सिमरन कोटेज, संजय नगर, दूध डेयरी के पीछे, खानपुरा, अजमेर, हाल निवासी मन्नत विला, मकान नम्बर 04, लाजरस लेन, किश्चयनगंज, अजमेर।

3 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गगवाना, तहसील व जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबंधक।

4 राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, अजमेर।

5 विद्वान उप–पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय जयपुर रोड, अजमेर।

.......रेस्पोण्डेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 23.12.2024 विद्वान सहायक कलक्टर मुख्या. अजमेर प्रार्थना–पत्र संख्या 129/2024

मान्यवर,

अपीलान्ट माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करते है :–

केस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. सं. 01 व 02 द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य के विरूद्व एक राजस्व वाद संख्या 129/2024 खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति हेतु मय स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या 129/2024 दिनांक 23.12.2024 विद्वान सहायक कलक्टर मुख्या. अजमेर के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किये कि ग्राम गगवाना, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या नया 710 पुराना 434 के खसरा नम्बर 3237/2435 रकबा 0.0800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3309/3249 रकबा 01.1195 हैक्टेयर कृषि भूमियों के मूल खातेदार श्री घम्मू पुत्र श्री ईदूबक्श रहे है, जिनके स्वर्गवास के

.........2

मो. इलियास मो. महबूब

Scanned with CamScanner